न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 54 / 2019 निर्णय दिनांकः– 9-12-25
(जीसीएमएस संख्या 2019 / 00375)

1. रामचन्द्र पुत्र कानाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. लिछमा पत्नी श्यामाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. बीरूराम पुत्र श्यामाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. गंगा पुत्री श्यामाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. कृष्ण पुत्र श्यामाराम नाबालिग जरिये माता लिछमा पत्नी श्यामाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. बिशनाराम पुत्र श्यामाराम नाबालिग जरिये माता लिछमा पत्नी श्यामाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. सोनाराम तथाकथित पुत्री कानाराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
7. जस्साराम पुत्र लिछमा पत्नी बीरबल जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
8. भागुराम पुत्र लिछमा पत्नी बीरबल जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
9. मघाराम पुत्र लिछमा पत्नी बीरबल जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
10. मु बसन्ती पुत्री लिछमा पत्नी बीरबल जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
11. मु मीरा पुत्री लिछमा पत्नी बीरबल जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
12. रामस्वरूप पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

13. भागुराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
14. मिश्रीलाल पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
15. कमला पत्नी खेताराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
16. रजीराम पुत्र खेताराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
17. बसाउ पिसरान खेतराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
18. लेखराम पिसरान खेतराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
19. सिनकी पिसरान खेतराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
20. पनकी पिसरान खेतराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
21. शिमला पिसरान खेतराम पुत्र गंगुराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
22. ओमप्रकाश पुत्र सुखी पुत्री जाति सांसी निवासी कुमाणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
23. नोमा पत्नी जारूराम पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
24. दाखां पत्नी पन्नाराम पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
25. रजा पत्नी बुधराम पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
26. रामी पत्नी मगतु पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
27. भालाराम पुत्र मगतु पुत्र खेताराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रामी पत्नी मंगतु पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
28. जगदीश पुत्र मगतु पुत्र खेताराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रामी पत्नी मंगतु पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

29. रोशनी पुत्री मगतु पुत्र खेताराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रामी पत्नी मंगतु पुत्र खेताराम जाति सांसी निवासी सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
30. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणकरणसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2006
एवं संशोधन आदेश दिनांक 13–12–2007
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्।
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।
3. श्री नवरतन तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक।

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2006 एवं संशोधन आदेश दिनांक 13–12–2007 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स का दावा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही सुंई के खसरा नम्बर 671 में रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 147 बीघा, खसरा नम्बर 219 रकबा 112 बीघा, खसरा नम्बर 999 में 11 बीघा, खसरा नम्बर 672 रकबा 45 बीघा कुल तादादी 331 बीघा भूमि अपीलांट् एवं गंगुराम के पिता कानाराम पुत्र गरीबू के कब्जे काश्त की भूमि रही है। कानाराम पुत्र गरीबू की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गंगुराम के विधिक वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि से श्यामाराम अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 का कोई सरोकार नहीं है तथा ना ही उक्त भूमि पर उनका कभी कब्जा काश्त ही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर कतई गौर किये बिना ही अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आक्षेपित आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता श्यामाराम का वादपत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति/पिता श्यामाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र इस आधार पर पेश किया गया था कि आराजी जैर वादी के दादा की खातेदारी भूमि रही है जिस पर वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं पुत्री सोना एवं लिछमा सहित कुल पॉच वारिसान रहे है। वादी के पिता का स्वर्गवास कम उम्र में होने के कारण वादग्रस्त भूमि के बाबत् उनके अधिकारों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं हो पाया। जबकि वादग्रस्त भूमि के 1/5 हक व हिस्से के अधिकारी रहे है। प्रकरण में बतौर वादग्रस्त भूमि के 1/5 हक व हिस्से के उत्तराधिकारी होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई व अपीलांट् व स्टेट द्वारा जवाब दावा भी पेश किया जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए कामय की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण अंकित किये बिना व अपीलांट् के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी नो इन्स्ट्रशन प्लीड अंकित करते हुए वादपत्र को बिना किसी ठोस आधार के डिक्री कर दिया गया।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को डिक्री करने का आधार सरपंच ग्राम पंचायत, सूंई द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र को लिया गया है। जबकि उक्त प्रमाण पत्र की वैधानिकता की जॉच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। वहीं दूसरी और यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट् द्वारा उक्त तथाकथित वारिस प्रमाण पत्र की वैधानिकता को जवाबदावें के माध्यम से चुनौती भी दी गई थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में विधि में स्पष्ट प्रावधान निहित है कि जहॉ वारिसान की वैधानिकता प्रश्न चिन्ह् योग्य रही हो, वहॉ सक्षम सिविल न्यायालय के माध्यम से जारी वारिस प्रमाण पत्र ही स्वीकार योग्य माना जायेगा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर एक फर्जी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 11 का वादग्रस्त भूमि से बतौर कानाराम के वारिसान कोई सरोकार नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पति/पिता श्यामाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत घोषणात्मक वादपत्र पेश किया गया था। जबकि धारा 88 के तहत वादपत्र पेश करने हेतु वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना अपहरिहार्य होता है। कब्जे के अभाव में धोषणात्मक दावा संधारण योग्य नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त के संबंध में कोई रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त नहीं की गई नाही वादी द्वारा स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किया गया है, जिससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा साबित होता हो। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के मूलभूत सिद्वान्तों के विपरीत जाकर वादपत्र को डिक्री करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियाद अधिनियम बाधक नहीं होने से अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि तहसील लूणकरनसर के वाके ग्राम

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रोही सुंई के खसरा नम्बर 671 में रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 147 बीघा, खसरा नम्बर 219 रकबा 112 बीघा, खसरा नम्बर 999 में 11 बीघा, खसरा नम्बर 672 रकबा 45 बीघा कुल तादादी 331 बीघा के बाबत् वादपत्र इस आधार पर पेश किया गया था कि आराजी जैर वादी के दादा की खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि पर वादी के पिता का 1/5 हक व हिस्सा निहित होने व उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र पर तनकीयात् कायम करते हुए व प्रतिवादी का जवाबदावा प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि वादी वादग्रस्त भूमि पर 1/5 हक व हिस्से का अधिकारी पाया जाता है, वादी का वादपत्र डिक्री किया गया है। अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से जो आपत्तियॉं प्रकट की गई है, वे तमाम आपत्तियॉं तकनीकी बिन्दु पर आधारित है जबकि वादग्रस्त भूमि के मूल रिकार्ड के अवलोकन मात्र से यह तथ्य जाहिर है कि वादी श्यामाराम वादग्रस्त भूमि पर बतौर पुश्तैनी भूमि खातेदारी काश्तकार रहे है। उक्त तथ्य के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से वादपत्र को डिक्री करते हुए आराजी जैर पर वादी को 1/5 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। प्रकरण में जहॉं तक सरपंच ग्राम पंचायत, सुंई द्वारा जारी वारिस प्रमाण पर संदेह प्रकट करने का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट् द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की विश्वनीयता पर संदेह किया जा सके। अपीलांट् मौखिक साक्ष्य के आधार पर उक्त आपत्ति पर कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण में जहॉं तक अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए उनके द्वारा जवाबदावा पेश किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार यह पाये जाने पर कि वादी वादग्रस्त भूमि पर 1/5 हक व हिस्से का अधिकारी है, वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से डिक्री करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम कार्यवाही के दौरान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आते रहे है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही अपीलांट् को रही है। अपीलांट् द्वारा जानबूझकर उक्त अपील देरी से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संतोषजनक नहीं होने के कारण अपीलांट् की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21—03—2006 व संशोधित आदेश दिनांक 13—12—2007 के विरूद्व अपील दिनांक 16—01—2008 को पेश की गई है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपीलांट् की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

8. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पति/पिता श्यामाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही सुंई के खसरा नम्बर 671 में रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 652 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 147 बीघा, खसरा नम्बर 219 रकबा 112 बीघा, खसरा नम्बर 999 में 11 बीघा, खसरा नम्बर 672 रकबा 45 बीघा कुल तादादी 331 बीघा भूमि पर अपने 1/5 हक व हिस्से के खातेदारी अधिकारों के बाबत् वादपत्र इस आधार पर पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा की खातेदारी भूमि थी, वादी के पिता उदाराम का छोटी उम्र में स्वर्गवास होने के कारण आराजी जैर पर वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं हो पाया। वादी वादग्रस्त भूमि पर बतौर उदाराम के पुत्र होने के आधार पर 1/5 हक व हिस्से का अधिकारी रहा है। प्रकरण में अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा वादपत्र पेश किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट् द्वारा जवाबदावा पेश करते हुए वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत सुंई द्वारा जारी वारिस प्रमाण की वैधानिकता को चुनौती दी गई तथा कथन किया गया कि जो वारिस प्रमाण पत्र पेश किया गया है वह मिथ्या एवं कुटरचित है तथा यह भी कथन किया गया था कि जहॉ वारिस प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न किया गया हो, वहॉ सक्षम सिविल न्यायालय के स्तर पर ही वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर ही अधिकारों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य के विपरीत जाकर मात्र सरपंच ग्राम पंचायत, सुंई के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर आक्षेपित निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

प्रकरण में अन्य तथ्य यह भी विचारणीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार अनुतोष सहित पॉच तनकीयात् कायम की गई थी। जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों के प्रश्न का निर्धारण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर किया जाना था। इसी प्रकार तनकी संख्या 3 व 4 जिसके माध्यम से वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होना माना जाना एवं सरपंच, ग्राम पंचायत सुंई द्वारा जारी प्रमाण पर क्षेत्राधिकार से बाहर जारी होने से प्रभाव शून्य माने जाने के तथ्य का निर्धारण किया जाना था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात् तो कायम कर दी गई, परन्तु आक्षेपित निर्णय पारित करने से पूर्व उपरोक्त तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से वादप्रकिया के सारभूत कानून (Substantial Law) जिसके माध्यम से किसी भी काश्तकार के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

प्रकरण में अन्य विचारणीय तथ्य यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे, तथा उनके द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने के उपरान्त वकील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिवादी संख्या 1 की और से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीठ किये जाने का अभिलेखन किया गया है। इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा पक्षकार की और से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीठ कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व होता है कि संबंधित पक्षकार को न्यायालय की तरफ से नोटिस जारी करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जावे। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह कहीं जाहिर नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को तलब करने हेतु न्यायालय की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अन्य महत्वपर्ण बिन्दु यथा प्रकियात्मक कानून (Procedure Law) जोकि किसी भी वादपत्र को न्यायनिर्णयन हेतु अग्रसर होने हेतु आज्ञापक प्रावधान है, की भी अवहेलना किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वाद में वादपत्र/जवाबदावा आदि के आधार पर कायम की गई तनकीयात् का साक्ष्य व सबूत के अनुसरण में विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

चूंकि प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या वादी आराजी जैर के बाबत् विधिक वारिसान है अथवा नहीं? आराजी जैर पर वादी का कब्जा काश्त है अथवा नहीं? इस संबंध में अदालत मातहत को चाहिए था कि वह संबंधित तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था व अपीलांट के वादगत् भूमि पर हक व हकूकों का निर्धारण करने से पूर्व सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किया जाना अपरिहार्य था परन्तु आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र निर्णय पारित करने के उद्वेश्य मात्र से बिना प्रक्रिया अपनाये, बिना साक्ष्य लिये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि प्रश्नगत भूमि पर वादी/प्रतिवादीगणों के हक व हकूकों की समुचित जांच की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2006 व संशोधित आदेश दिनांक 13–12–2007 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उभयपक्ष को सुनवाई व सबूत का उचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक तार्किक विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 9-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर